डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जन–कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु निविदा आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक–2135 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19/08/2025

// निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 2,360/–(GST सहित)वापसी योग्य नही।
अमानत राशि	रुपये 1,00,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्रि–बिड मीटिंग की तिथि	**दिनांक 02/09/2025 समय 3:30 बजे अपरान्ह (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)** **(प्री–बिड सुझाव दिनांक 03.09.2025 तक जमा करना अनिवार्य है)**
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 23/09/2025 समय 2:00 बजे अपरान्ह
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 23/09/2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 23/09/2025 समय 4:00 बजे अपरान्ह

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–2512580, 81
http://samvad.cg.nic.in/, email : cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट– http://samvad.cg.nic.in/ फोन नं. 0771–2512580

क्र. 2135 /छ.ग.सं/प्रकाशन/2025 नवा रायपुर, अटल नगर ,दिनांक 19/08/2025

डिजिटल. टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जन–कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in** पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र का शुल्क	**रूपये 2,360/–(जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)**
अमानत राशि	**रूपये 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)**
प्रि–बिड मीटिंग की तिथि	**दिनांक 02/09/2025 समय 3:30 बजे अपरान्ह (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)** **(प्री–बिड सुझाव दिनांक 03 .09.2025 तक जमा करना अनिवार्य है)**
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	**दिनांक 23/09/2025 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक**
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 23/09/2025 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक**
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	**दिनांक 23/09/2025 समय 4:00 बजे सायं से**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर, छत्तीसगढ़

डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवीके माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न माध्यमों से कार्य किया जाता है।
2. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जन–कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण कर फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जाना है।
3. **फर्मों को निम्नलिखित दस्तवेजों को टेक्निकल बिड में ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है :–**

(i) फर्म के पैन कार्ड की प्रति। (स्वप्रमाणित)

(ii) Assessment Year 2022-23, 2023-2024 एवं 2024-2025 के आयकर रिटर्न की प्रति।(स्वप्रमाणित)

(iii) निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	:	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	:	**Indian Bank**
Branch Name	:	**Sector-27, Nawa Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	:	**20246301259**
IFSC Code No.	:	**IDIB000N571**

(iv) नगर निगम, नगर पालिक एवं नगर पंचायत अथवा संबंधित स्थानीय निकाय/संस्थान से जारी किए गए रसीद की प्रति एवं स्वयं की स्वामित्व वाले डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी की सूची ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

(v) निविदा में भाग लेने वाले फर्मों का कोई भी शासकीय संस्थान के साथ एकल अनुबंध होने पर अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र की प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

(vi) फर्म के पास उपलब्ध स्वयं के स्वामित्व का डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी का इन्वाईस संलग्न करना होगा। ज्वांईट वेंचर/प्रेंचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नही होगा।

(vii) वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तीनों वर्षो का औसतन टर्नओवर कम से कम रू. 5 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट द्वारा सत्यापित UDIN अंकित टर्नओव्हर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा

(viii) डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी में विज्ञापन प्रसारण हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/संबंधित संस्थान की वैध अनुमति फर्म को प्राप्त करनी होगी। अनुमति प्राप्त करने तथा इस पर होने वाले व्यय का दायित्व संबंधित डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी टीवी वाले फर्म का रहेगा। अनुमति प्रमाण पत्र की कॉपी आनलाईन अपलोड करना होगा।

4. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु धन–जन–थर्ड पार्टी सुरक्षा का दायित्व संबंधित डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी एजेंसी/फर्म का होगा। अतः इस संबंध में संबंधित डिजिटल टीवी/एल

.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी फर्म को पर्याप्त सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद का इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

5. **इम्पैनलमेंट अवधि के दौरान फर्म का संबंधित क्षेत्र के शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय भवनों/शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परिसर एवं अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे– रेलवे परिसर, बस स्टैण्ड परिसर, एयरपोर्ट परिसर इत्यादि के साथ निष्पादित अनुबंध की अवधि समाप्त होने की स्थिति में एजेंसी को तब तक कार्य आबंटन नही किया जाएगा जब तक कि विज्ञापन हेतु अनुबंधित 0अवधि में नवीनीकरण एवं नवीन अनुबंध निष्पादित नहीं हो जाता।**
6. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी का कार्यादेश के अनुरूप कार्य नहीं होने पर तद्नुसार देयक में कटौती की जाएगी।
7. इम्पैनल्ड एजेंसी/फर्मों को कार्य के तत्कालिकता, आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन की निर्धारित अवधि में रखरखाव और सुरक्षा के साथ–साथ आवश्यकता होने पर विज्ञापन बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। विज्ञापन प्रदर्शन बदलने एवं अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
9. समय–समय पर कार्यालयीन निर्देश पर सीधा प्रसारण किया जाना होगा।
10. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में डिजिटल टीवी में प्रदर्शित हो रहे विडियो का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रारंभ एवं अंतिम दिवस) उपलब्ध कराना होगा एवं तदानुसार देयक स्वीकीर्य होगा।
11. पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा | उक्त कार्यावधि के पश्चात् दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा एवं अमानत राशि राजसात किया जाएगा।
12. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
13. फर्म को कार्य प्रारंभ की तिथि से GPS लोकेशन के साथ फोटोग्राफ संलग्न करना होगा। फर्म को छत्तीसगढ़ संवाद के आउटडोर निगरानी ऐप में GPS लोकेशन के साथ फोटो अपलोड करना होगा।
14. टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं प्राप्त न्यूनतम दर पर इम्पैनलमेंट हेतु टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए सहमत फर्मों को दो वर्ष के लिए इम्पैनल्ड किया जाएगा। कार्य संतोषजनक होने पर एल–1 दर पर दो वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनः अधिकतम एक वर्ष अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
15. वित्तीय प्रस्ताव में उल्लेखित अवधि के अलावा अन्य अवधि हेतु कार्य की आवश्यकता होने पर न्यूनतम अनुपातिक दर पर कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
16. संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
17. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।

18. **निर्धारित प्रारुप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है, भविष्य में कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं। शपथ–पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) एवं डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी का चालू हालत में स्पष्ट दिखता हुआ वीडियो की CD/DVD/Pendrive निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह् 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जा सकता है।**

19. निविदाकार को अमानत राशि रु. 1,00,000/– जमा करना होगा। अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

20. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/– के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

21. 15 दिवस से ज्यादा अवधि हेतु 1 माह से कम अवधि का दर एवं 1–3 माह की दर का अनुपातिक गणना कर दोनों में से न्यूनतम दर पर मान्य किया जाएगा।

22. डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी हेतु किसी विभाग का एक दिन में अधिकतम 720 स्पॉट (120 X6) प्रसारण किया जाना है।

23. फर्म का स्वयं के स्वामित्व में जिस स्थान में डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्थापित है उसी स्थान का दर कोट किया जाना होगा।

24. फर्म के पास एक यूनिट/श्रृखंला में एक साथ न्यूनतम 05 नग डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी होना अनिवार्य हैं ।

25. इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 25 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकेगा।

26. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

27. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय प्रस्ताव

(अ) रायपुर नगर निगम तथा नवा रायपुर अटल नगर ,अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे– एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैण्ड एवं अन्य परिसर हेतु

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	श्रृंखला में स्थापित टीवीसंख्या	दर (जीएसटी अतिरिक्त)			
				रायपुर नगर निगम तथा नवा रायपुर अटल नगर	रायपुर एयरपोर्ट परिसर	रेलवे परिसर	बस स्टैण्ड परिसर
1.	**डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
2	**डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				

	मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–43–55 इंच तक**		61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
3	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–56 –65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
	डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन	5–15 तक				
			16–30 तक				

4	**एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–66 इंच से अधिक**	का एकमुश्त दर	31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
5	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				

			46–60 तक				
			61 से अधिक				
6	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–43–55 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
7	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–56–65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह	5–15 तक				

		हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 से अधिक				
8	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी—स्पॉट प्रसारण—** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज—66 इंच से अधिक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 से अधिक				
		1—3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 से अधिक				
		4—6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5—15 तक				
			16—30 तक				
			31—45 तक				
			46—60 तक				
			61 से अधिक				

(ब) सभी जिला मुख्यालयों (रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र को छोड़कर), अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे– एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैण्ड एवं अन्य परिसर हेतु

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	श्रृंखला में स्थापित टीवीसंख्या	दर (जीएसटी अतिरिक्त)			
				सभी जिला मुख्यालय	एयरपोर्ट परिसर	रेलवे परिसर	बस स्टैण्ड परिसर
1.	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
2	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–43–55 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				

		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
3	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–56 –65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
4	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है।	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				

	सांउड के साथ साईज–66 इंच से अधिक		31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
5	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
6	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60				

	का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–43–55 इंच तक**		तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
7	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–56–65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
8	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी. टीवी/स्मार्ट**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन	5–15 तक				
			16–30 तक				

	एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण– न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–66 इंच से अधिक**	का एकमुश्त दर	31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				

(स) सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र, अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे– रेलवे परिसर, बस स्टैण्ड एवं अन्य परिसर हेतु

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	श्रृंखला में स्थापित टीवीसंख्या	दर (जीएसटी अतिरिक्त)		
				सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र	रेलवे परिसर	बस स्टैण्ड परिसर
1.	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
2	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			

	साईज–43–55 इंच तक		46–60 तक			
			61 से अधिक			
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
3	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–56 –65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
4	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			

	प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–66 इंच से अधिक**	1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
5	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी–स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
	डिजिटल टीवी/एल	1माह से कम	5–15 तक			

6	.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी— स्पॉट प्रसारण— न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज—43—55 इंच तक**	अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	16—30 तक			
			31—45 तक			
			46—60 तक			
			61 से अधिक			
		1—3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5—15 तक			
			16—30 तक			
			31—45 तक			
			46—60 तक			
			61 से अधिक			
		4—6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5—15 तक			
			16—30 तक			
			31—45 तक			
			46—60 तक			
			61 से अधिक			
7	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी— स्पॉट प्रसारण—** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज—56—65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5—15 तक			
			16—30 तक			
			31—45 तक			
			46—60 तक			
			61 से अधिक			
		1—3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5—15 तक			
			16—30 तक			
			31—45 तक			
			46—60 तक			
			61 से अधिक			
		4—6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5—15 तक			
			16—30 तक			
			31—45 तक			
			46—60 तक			

			61 से अधिक			
8	**डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 30 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–66 इंच से अधिक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रतिदिन का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		1–3 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			
		4–6 माह हेतु प्रतिमाह का एकमुश्त दर	5–15 तक			
			16–30 तक			
			31–45 तक			
			46–60 तक			
			61 से अधिक			

दिनांक :

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
हस्ताक्षर (सील मुद्रा)
पूर्ण पताः
मोबाईल नं.

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं————————————संस्था प्रमुख निवासी ——————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा हेतु प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ————————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ————————

दिनांक ———————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर